

कार्यालय नगर परिषद्, मेदिनीनगर
संविदा में नियुक्ति

संविदा के आधार पर दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली से लेखा संधारण करने तथा लेखा संबंधी आंकड़ों की प्रविष्टि तथा लेखा बही तैयार करने एवं अन्य कार्य करने हेतु पद पर नियोजन हेतु विज्ञापन—

मेदिनीनगर नगर परिषद् के लेखा प्रणाली की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली द्वारा संधारण करने हेतु निकाय स्तर पर लेखा संबंधी आंकड़ों की प्रविष्टि तथा लेखा बही तैयार करने के लिए लेखापाल (Accountant) का संविदा के आधार पर नियोजन हेतु निम्नवत् आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

क्रम संख्या	पदनाम	कुल पद	अधिकतम मानदेय राशि
1	लेखापाल	01	15000 रूपए प्रतिमाह

संविदा शर्तों के आधार पर उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पदनाम अंकित करते हुए अपना बायोडाटा, जन्म तिथि प्रमाण पत्र सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, सभी अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, दो Recent पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ एवं Self Address Envelope with Postage Stamp दिनांक 16.07.2016 तक इस कार्यालय को समर्पित कर सकते हैं।

नियुक्ति हेतु निम्नलिखित अहर्ता होना आवश्यक है—

1. Education Qualification & Experience of Accountant

- (a) The Candidate Should have Graduate degree in Commerce from a Recognized University with experience of Tally based Computerized accounting system.
- (b) He must have prepared computerized books of accounts through tally software of a reputed company/Organization.
- (c) The candidate should be of less than 45 years of age.
- (d) The candidate should have good communication skill and exposure to valuation of assets and capable of preparing requisite books of accounts on the instruction of Chartered Accountant.

शर्त—

1. आवश्यकतानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों को योग्यता एवं अनुभव के आधार पर Short Listing की जा सकती है। तदोपरान्त योग्य आवेदक को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
2. आमंत्रित आवेदकों को चयन गठित साक्षात्कार चयन समिति के द्वारा किया जायेगा।
3. यह नियोजन एक वर्ष (पूर्ण रूप से अस्थायी) के लिए जायेगी। भविष्य में आवश्यकतानुसार दक्षता एवं कार्य क्षमता पर सेवा विस्तारित भी की जा सकती है।

4. संविदा/मानदेय के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक के अनुमान्य किसी भी सुविधा के लिए ये हकदार नहीं होंगे।
5. संविदा/मानदेय के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
6. नियोजन के पूर्व नियमानुसार आवेदक को अपना अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा, जो सक्षम स्तर से निर्गत हो।
7. यदि समय की समाप्ति के पूर्व उसका विस्तार नहीं किया जाता है, तो ऐसे नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। तथा कोई नवीन आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
8. इसी प्रकार के नियोजन संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा सूचना देकर ही एक माह की संविदा राशि एकमुश्त भुगतान कर समाप्त की जा सकती है, इसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
9. बिना कारण बताये नियोजन की स्वीकृति/रद्द का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
10. भविष्य में सरकार द्वारा निर्गत आदेश/निर्देश मान्य होगा।

3d1
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक...../दिनांक.....

प्रतिलिपि :- कार्यालय सूचना पट्ट एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जिला के वेबसाईट में उक्त विज्ञापन को प्रदर्शित करने की कृपा की जाय।

5d1
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक...../दिनांक.....

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष नगर परिषद, मेदिनीनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

5d1
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक...../दिनांक.....

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, पलामू को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3d1
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक.....) 879...../दिनांक..... 01-07-2016

प्रतिलिपि :- निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर समर्पित।

01/07
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, मेदिनीनगर।